रजिस्ट्री सं. डी. एल.—33004/95 REGD. NO. D.L.—33004/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 445] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 28, 1995/श्रावण 6, 1917
No. 445] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 28, 1995/SRAVANA 6, 1917

वस्त्र मंत्रालय

(हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय)

संकल्प

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 1995

का. आ. 675(अ).— भारत सरकार ने 6 जून, 1985 को नई वस्त्र नीति की घोषणा की थी । इस नई वस्त्र नीति में हथकरघा क्षेत्र के संबंध में निर्धारित उद्देश्यों का उल्लेख अनुसूची । में किया गया है । यह वस्त्र नीति गत 10 वर्षों से भी अधिक समय से कार्यान्वित की जा रही है । इस लम्बी अवधि के दौरान समूचे वस्त्र दृश्य लेख में काफी परिवर्तन हुआ है । इसलिए यह अनुमान लगाना आवश्यक है कि इन उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है । पावरलूम क्षेत्र में हुई वृद्धि से हथकरघा और मिल क्षेत्रों को इस क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा लेनी पड़ रही है । यद्यपि मिल क्षेत्र के उत्पादन में कमी आई है लेकिन हथकरघा क्षेत्र में वृद्धि हुई है । गत कुछ वर्षों के दौरान हथकरघा क्षेत्र में बजट प्रावधानों में भी पर्याप्त वृद्धि की गई है । इसलिए हथकरघा क्षेत्र के लिए कार्यान्वित योजनाऐं किस हद तक सफल रही हैं इसका मूल्यांकन करना भी आवश्यक है । हथकरघा क्षेत्र एक असंगठित क्षेत्र है और बहुत अधिक रोजगार प्रदान करता है इसलिए इस क्षेत्र के विकास और इसकी श्रेष्ठ स्थिति को बनाये रखने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि ऐसे उपाय किए जायें जिससे इस क्षेत्र के डिजाइन विकास, कार्यकुशलता में वृद्धि, पर्यावरण के अनुकूल प्रोसेस आदि में वृद्धि हो । इस क्षेत्र में निर्यात क्षमता में भी उपयुक्त वृद्धि की आवश्यकता है । इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एक समिति के गठन का निर्णय लिया गया है जिसके कार्य विषय इस प्रकार होंगे :

1. आंकलन करना कि हथकरघा क्षेत्र द्वारा वस्त्र नीति 1985 के उद्देश्यों की किस सीमा तक उपलब्धि हुई है ।

2. आंकलन करना कि हथकरघा क्षेत्र में कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं का कितना लाभ हुआ है ।

3. हथकरघा क्षेत्र द्वारा महसूस की जा रही कठिनाईयों तथा अवसरों का आंकलन करना तथा अवसरों का उपयोग करने के लिए उपाय निकालना विशेष कर निर्यात में पर्याप्त वृद्धि करने के लिए समुचित समर्थन सुझाना ।

4. हथकरघा क्षेत्र के विकास के सभी क्षेत्रों जिनमें निवेश आपूर्ति, क्रेडिट सहयोग, उत्पादन प्रौद्योगिकी, डिजाइन उपलब्धता, संगठनात्मक ढांचा, विपणन सहयोग, निर्यात आदि के विकास में आने वाली बाधाओं का विस्तृत मूल्यांकन करना और (क) हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए तेजी से वृद्धि करने (ख) आर्थिक रूप से व्यवहार्य तरीके से इसके विकास के लिए उपाय सुझाना ।

2. इस समिति के सदस्यों की सूची अनुसूची 2 में दी गई है ।

3. यह समिति अपनी रिपोर्ट 6 माह की अवधि में प्रस्तुत कर देगी ।

4. यह समिति अपनी कार्यप्रणाली स्वयं तैयार करेगी ।

5. सरकारी अधिकारियों के संबंध में उनके विभाग दैनिक भत्ते/यात्रा भत्ते पर होने वाले व्यय को वहन करेंगे तथा गैर सरकारी सदस्य वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ 6(26)/ई 4/59 दिनांक 5 सितम्बर, 1960 जिसका समय -समय पर संशोधन किया गया है, के अनुसार दैनिक भत्ता/यात्रा भत्ता लेने के पात्र होंगे ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि सभी संबंधित अधिकारियों को इस संकल्प की एक प्रति भिजवा दी जाये ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में भी प्रकाशित कर दिया जाये ।

अनुसूची-1

(वस्त्र नीति 1985 का पैराग्राफ 14)

14. हथकरघों की अद्वितीय भूमिका बनाये रखने और उन्हें उनकी पूरी सम्भाव्यता प्राप्त कराने और साथ ही हथकरघा बुनकरों के लिए बेहतर आय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित मुख्य कदम उठाये जाएंगे :-

1. सरकारी समितियों तथा केन्द्रीय राज्य स्तर के निगमों की मार्फत हथकरघों के विकास को तेज किया जाएगा ।

2. करघों के आधुनिकीकरण तथा हथकरघों की उत्पादकता और हथकरघा उत्पादों की क्वालिटी तथा फिनिश में सुधार के लिए प्रोद्योगिकी तथा निविष्ट साधनों की व्यवस्था पर अधिक ध्यान दिया जाएगा ।

3. हथकरघा क्षेत्र को यार्न तथा अन्य कच्चे माल की व्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए जाऐंगे । राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम तथा राज्य स्तर के हथकरघा अभिकरणों के कार्यों द्वारा ऐसे कच्चे माल की उचित कीमतों पर खरीद तथा सप्लाई के लिए अवस्थापना को मजबूत किया जाएगा ।

4. बुनकरों की मजदूरी तथा आय में सुधार करने के उद्देश्य से हथकरघों पर मिश्रित तथा ब्लैंडेड वस्त्रों के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जाएगा ।

5. 'हथकरघा उत्पादन के लिए वस्तुओं का आरक्षण अधिनियम, 1985' के अंतर्गत हथकरघा क्षेत्र में अनन्य तौर पर उनके उत्पादन के लिए वस्तुओं के आरक्षण द्वारा हथकरघों को आरक्षण प्रदान किया जाएगा ।इस अधिनियम के प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जाएगा तथा इस कार्य को करने वाली व्यवस्था को उचित रूप से सुदृढ़ किया जाएगा ।

6. हथकरघों की प्रतियोगिता क्षमता में सुधार लाने के लिए उपयुक्त राजकोषीय उपायों द्वारा शक्तिचालित करघों की तुलना में हथकरघों लागत संबंधी बाधा को यथासम्भव दूर करने के लिए कदम उठाए जाऐंगे ।

7. हथकरघा उत्पादों के विपणन में सुधार लाने के लिए विपणन कम्पलैक्सों की अवस्थापना, विपणन कर्मचारियों के प्रशिक्षण और गहन प्रचार की व्यवस्था की जाएगी । हथकरघा क्षेत्र में लगे कर्मचारियों के तकनीकी , प्रबंध संबंधी और प्रशासनिक हुनरों को अप-ग्रेड करने के उपाय किए जाऐंगे ।

8. हथकरघा विकास कार्यक्रमों की बेहतर योजना बनाने और उनके कार्यान्वयन के लिए हथकरघा क्षेत्र के आँकड़ा आधार को मजबूत बनाने के उद्देश्य से हथकरघों की गणना आरम्भ की जाएगी । हथकरघा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए मशीनरी को मजबूत बनाया जाएगा ।

अनुसूची-2

समिति की संरचना

1. सुश्री मीरा सेठ — अध्यक्षा
सदस्य
योजना आयोग ।

2. श्री प्रमदा कोटिया, सदस्य
संसद सदस्य

3. श्री मंजूर अहमद अंसारी, सदस्य
[illegible],
छोटानागपुर क्षेत्रीय हथकरघा बुनकर सहकारी समिति,
इरबा रांची, बिहार ।

4. डॉ. ई.ए.एस. सरमा, सदस्य
अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार,
उद्योग मंत्रालय।

5. श्री ए. के. जैन, सदस्य
संयुक्त सचिव (बैंकिंग)

6. श्री पी. शंकर, सदस्य
सचिव, तमिलनाडू सरकार ,
श्रम एवं रोजगार विभाग ।

7. श्री ठाकुर महेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य
संसद सदस्य

8. श्री ए. एन. ज़रीवाला, सदस्य
अध्यक्ष,
सूरत आर्ट सिल्क क्लॉथ
मेनुफेक्चरर्स एसोसिएशन, सूरत ।

9. श्री एस. के. कालिया, सदस्य
प्रबंध निदेशक,
नाबार्ड ।

10. श्री तारीत बारोन तोपदार, सदस्य
संसद सदस्य

11. श्री टी. वी. मारुथी, हनुमान सिल्क फैक्ट्री, सदस्य
बंगलौर ।

12. श्री विनोद मल्होत्रा, सदस्य/संयोजक
विकास आयुक्त हथकरघा

[सं. 1/4/95/डीसीएच/समन्वय]
विनोद मल्होत्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

(OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER FOR HAND LOOMS)

RESOLUTION

New Delhi, the 27th July, 1995

S.O. 675(E).-- The Government of India had announced a new Textile Policy on 6th June, 1985. The objectives with regards to Handloom Sector in the Textile Policy are at Schedule - I. The Policy has now been in operation for more than ten years. The overall Textile scenario has undergone substantial change in this period. There is a need to assess the extent to which these objectives have been achieved. The Handloom & Mill Sector have been facing competition from the growing powerloom sector. While production in the mill sector has declined, handloom sector has shown growth. The budget provisions in handloom sector have been increased substantially during last few years. There is now a need to assess the impact of the schemes which are being implemented for the handloom sector. In order for the handloom sector to grow and retain its pre-eminent position as one of the largest employer in the unorganised sector, it is essential to devise measures that capitalise on its inherent strengths pertaining to design development, skill upgradation, eco-friendly process, etc. Export potential for this sector has also to be suitably exploited. Keeping these in view, it has been decided to set up a Committee with the following terms of reference:

i) Assess the extent to which the objectives of the Textile Policy, 1985 have been achieved by the handloom sector;

ii) Assess the impact of various schemes which are being implemented in the handloom sector;

iii) Assess the threats and opportunities facing the handloom sector and devise ways & means to capitalise on the opportunities and in particular recommend comprehensive support necessary to achieve a quantum jump in exports.

iv) Make a comprehensive assessment of the bottlenecks in the way of development of the handloom sector in all areas including input supplies, credit support,

production technology, design availability, organisational structure, marketing support, exports etc. and to recommend (a) measures to promote rapid development of the handloom sector, (b) measures for its growth in an economically viable manner.

2. The Committee will consist of the members shown in the Schedule - II annexed herewith.

3. The Committee shall submit its report within a period of six months.

4. The Committee will formulate its own procedure of working.

5. The expenses on TA and DA, if any, will be borne by the respective departments in respect of Government officials, whereas non-officials will be entitled to claim TA and DA as per O.M. No.F.6(26)-E.IV/59 dated 5th September, 1960 of the Ministry of Finance (Department of Expenditure) as amended from time to time.

ORDER

Ordered that a copy of Resolution be communicated to all concerned.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

SCHEDULE - I

(Para 14 of the Textile Policy, 1985)

In order to preserve the unique role of Handlooms and enable them to realise their full potential as also to ensure higher earnings for the handloom weavers, the following main steps shall be taken :-

(i) The development of handlooms through cooperatives and Central/State level Corporations shall be intensified;

(ii) Greater emphasis will be placed on the modernisation of looms and provision of technological and other

inputs for improving productivity of handlooms and the quality and finish of handloom products;

(iii) Special efforts would be made to ensure adequate availability of yarn and other raw materials to the handloom sector. The infrastructure for procurement and supply of such inputs at reasonable prices to the handloom weavers shall be strengthened through the operations of the National Handloom Development Corporation and the State level handloom agencies;

(iv) The production of mixed and blended fabrics on handlooms shall be encouraged with a view to improve the wages and earnings of the weavers;

(v) Protection to handlooms will be provided by reserving articles for their exclusive production in the handloom sector under the "Handloom (Reservation of Articles for Production) Act, 1985". The provisions of this Act shall be strictly enforced and the machinery for doing so shall be suitably strengthened;

(vi) To improve the competitiveness of handlooms steps would be taken to remove, as far as possible, the cost handicap of the handlooms vis-a-vis the powerlooms by suitable fiscal measures;

(vii) To improve the marketing of handloom products, infrastructure of marketing complexes, training of marketing personnel and intensive publicity shall be organised. Steps would be taken to upgrade the technical, managerial and administrative skills of personnel employed in the handloom sector;

(viii) To strengthen the data base for the handloom sector for better planning and execution of handlooms development programmes, a census of handloom shall be undertaken. The machinery for implementation, supervision and evaluation of handloom programmes shall be strengthened.

SCHEDULE - II

Constitution of the Committee

1.	Ms. Meera Seth, Member, Planning Commission.	:	Chairperson
2.	Shri Pragada Kotaiah, Member of Parliament	:	Member
3.	Shri Manzoor Ahmed Ansari Chairman, Chhotanagpur Regional Handloom Weavers Cooperative Society, Irba Ranchi, Bihar.	:	Member
4.	Dr. E.A.S. Sarma, Additional Secretary & Financial Advisor, Ministry of Industry	:	Member
5.	Shri A.K. Jain, Joint Secretary(Banking).	:	Member
6.	Shri P. Shankar Secretary to the Govt. of Tamilnadu, Deptt. of Labour and Employment.	:	Member
7.	Shri Thakur Mahendra Kumar Singh: Member of Parliament.		Member
8.	Shri A.N. Zariwala, President, Surat Art Silk Cloth Manufacturers Association, Surat.	:	Member
9.	Shri S.K. Kalia, Managing Director, NABARD.	:	Member
10.	Shri Tarit Baron Topdar, Member of Parliament.	:	Member
11.	Shri T.V. Maruthi, Hanuman Silk Factory, Bangalore.	:	Member
12.	Shri Vinod Malhotra, Development Commissioner for Handlooms, Ministry of Textiles Udyog Bhavan, NEW DELHI.	:	Member/Convenor.

[F. No. 1/4/95-DCH/Coordn.]
VINOD MALHOTRA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. 1995